कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ।

नीलामी सूचना

लखनऊ:दिनांक: ~~जुलाई~~ अगस्त ,2018

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, वित्तीय वर्ष 2018–2019 में दिनांक 01.09.2018 से 31.03.2019 तक के लिए माननीय जिला जज लखनऊ महोदय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, कैसरबाग, लखनऊ के पुराने परिसर में स्थित गेट न0 4 व 5 के निकट कार पार्किंग स्टैण्ड, गेट न0–7 के निकट साइकिल/ स्कूटर/मोटर साइकिल पार्किंग स्टैण्ड व गेट न0–9 एवं सी0एस0सी0 भवन के निकट कार/स्कूटर/मोटर साइकिल पार्किंग स्टैण्ड की नीलामी बोली **दिनांक 21.08.2018** की सांय 4:30 बजे दीवानी न्यायालय, लखनऊ परिसर में दक्षिणी भवन के भू–तल पर स्थित सभागार कक्ष में होगी। उपरिवर्णित स्टैण्डों की नीलामी बोली हेतु प्रारम्भिक सरकारी बोली क्रमशः गेट न0–4 व 5 कार पार्किंग स्टैण्ड के लिए रु0 01,57,452/–, गेट न0–7 के निकट साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल पार्किंग स्टैण्ड के लिए रु0 1,13,664/– एवं गेट न0–9 व सी0एस0सी0 भवन के निकट कार/स्कूट/मोटर साइकिल पार्किंग स्टैण्ड के लिए रु0 57,824/– नियत की गयी है।

उपरोक्त से सम्बन्धित उपरिवर्णित पार्किंग से सम्बन्धित स्टैण्डों की नीलामी बोली में भाग लेने हेतु धरोहर के रूप में भागीदरों द्वारा क्रमशः गेट न0–4 व 5 के निकट स्टैण्ड हेतु रु0 15,745/– गेट न0–7 के निकट स्टैण्ड हेतु रु0 11,366/– एवं गेट न0–9 व सी0एस0सी0 भवन के निकट स्टैण्ड हेतु रु0 5,782/– की नकद धनराशि कार्यालय केन्द्रीय नजारत कमर न0–7 में **दिनांक 20.08.2018** तक प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 12:00 बजे से 02:00 बजे तक कैशियर के पास जमा करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावेगी, जिस भागीदार द्वारा नीलामी बोली में भाग लेने हेतु धरोहर राशि जमा नहीं की जावेगी वह नीलामी बोली में भाग लेने हेतु अधीकृत नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार स्टैण्डो की अधिकतम नीलामी बोली बोलने वाले भागीदार के पक्ष में स्वीकार किया जावेगा उसे बोली की धनराशि का 50% की धनराशि कब्जा दिए जाने के 07 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जावेगा। यदि उक्त ठेका की धनराशि नियत समयावधि में सम्बन्धित भागीदार द्वारा जमा नहीं की जाती है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि को राजकीय पक्ष में जब्त कर ली जावेगी तथा सम्बन्धित भागीदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसके पक्ष में स्वीकृत ठेका को निरस्त करके नियमानुसार पुनः नीलामी कार्यवाही की जावेगी। **प्रत्येक वाहन स्टैण्ड पर वाहन के चोरी होने अथवा किसी प्रकार की क्षति आदि होने पर जिला जज, लखनऊ महोदय या नीलामी समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में यदि कोई क्षतिपूर्ति की जानी है उसके लिए कब्जा लेने से पूर्व साइकिल, मोटर साइकिल/स्कूटर हेतु रु0 20,000/– एंव कार हेतु रु0 1,00,000/– की नकद धनराशि जमानत के रूप में तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा** जो ठेका समाप्ति की अवधि तक जमा रहेगा। उपरोक्त से सम्बन्धित निर्धारित शर्तों को कार्यालय उपरोक्त में केन्द्रीय नजिर से प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 3:00 बजे से 4:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है तथा यदि उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी अपेक्षित है तो उसके सम्बन्ध में उपरोकत कार्यालय के केन्द्रीय नाजिर से सम्पर्क स्थापित करते हुए प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जमा की जाने वाली सभी धनराशियो से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई चेक/बिल अथवा बैंक ड्राफ्ट आदि प्राप्त नहीं किया जावेगा, सभी जमा की जाने वाली धनराशि नकद जमा की जावेगी।

नीलामी बोली की तिथि आदि में किसी प्रकार वृद्धि/परिवर्तन आदि किए जाने एवं किसी प्रकार के वाद विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिए जाने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ महोदय के अधीन सुरक्षित होगा एव उनके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा जो सभी को मान्य होगा।

अध्यक्ष,
नीलामी समिति/स्पेशल जज (अयो0प्रक0),
लखनऊ।

लखनऊ:दिनांक:अगस्त 03 ,2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आश्य के साथ कि सूचना को व्यापक प्रवार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित :–

1– नोडल ऑफिसर (कम्प्यूटर अनुभाग), जनपद न्यायालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नीलामी सूचना को जनपद न्यायालय, लखनऊ एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइड पर व्यापक प्रवार–प्रसार हेतु अपलोड कराने का कष्ट करें।
2– सम्पादक ....दैनिक समाचार पत्र।
3– नाजिर, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।
4– नाजिर सदर, कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।
5– लिपिक, कार्यालय, कार्यालय मुख्य मण्डलायुक्त, लखनऊ।
6– लिपिक, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
7– लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ।
8– नाजिर, पारिवारिक न्यायालय, अमेरिकन लाइब्रेरी लखनऊ।
9– नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, लखनऊ पर चस्पा किए जाने हेतु।

3-8-18

अध्यक्ष,
नीलामी समिति/स्पेशल जज (अयो0प्रक0),
लखनऊ।